पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:–377 / 2025

1. संजय कुमार } पि0 गंगाजल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी
2. राकेश कुमार } जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1 गंगाजल पुत्री सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2 माया पत्नी सोहनलाल पुत्री गंगाजल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3 इन्द्रा पत्नी विनोद कुमार पुत्री गंगाजल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हाथियांवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4 मनोहरी पत्नी गंगाजल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 29/9/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री विजय बैनीवाल व प्रतिवादी वकील नरेन्द्र वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:–क. वादी सं० 1 संजय कुमार व वादी सं0 2 राकेश कुमार को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी:–चकनं0 10 एनजीसी के खाता सं0 36/45 में प्रतिवादी सं० 1 गंगाजल के नाम की 2.4540 है0 नहरी आराजी तथा चकनं0 10 सीडीआर ए के खाता सं0 36/38 अंकित गंगाजल के नाम की कुल 2.8340 है0 नहरी मय गै०मु० आराजी मे से 2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 10 सीडीआर ए के खाता सं0 36/38 मे से गंगाजल का हिस्सा कम व चक नं0 10 एनजीसी के खाता सं0 36/34 मे से गंगाजल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/9/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पटेन
(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।